

## राज्य पशु कल्याण सलाहकार मंडल गठित

### चर्चा में क्यों?

21 जनवरी, 2022 को राज्य शासन द्वारा पशुपालन एवं डेयरी मंत्री प्रेमसहि पटेल की अध्यक्षता में राज्य पशु कल्याण सलाहकार मंडल का गठन किया गया।

### प्रमुख बटु

- केंद्र शासन के दशा-नरिदेशानुसार गठित मंडल में अध्यक्ष कार्य परषिद मध्य प्रदेश गो-पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड उपाध्यक्ष और अपर मुख्य सचवि पशुपालन सदस्य होंगे। अन्य सदस्यों में वधियक, अशासकीय प्रतनिधि और पशु कल्याण से जुडी संस्थाएँ शामिल की गई हैं।
- समति पशुओं के प्रतकिरूरता एवं बरताव के नविरण, पशुओं के परविहन में उपयोग, पशुओं के लयि शेड, पानी, चकितिसा सहायता आदि के संबंध में राज्य सरकार को समय-समय पर सुझाव देगी।
- वधियकों में सुमतिरा देवी कासडेकर और राम दांगोरे, गृह वभिग के अपर मुख्य सचवि और वन, शकिषा, पंचायत एवं ग्रामीण वकिसा और नगरीय प्रशासन एवं वकिसा वभिग के प्रमुख सचवि, पीसीसीएफ (वाइल्ड लाइफ), संचालक पशुपालन एवं डेयरी वभिग, प्रबंध संचालक पशुधन एवं कुक्कुट वकिसा नगिम और भारतीय वन जीव कल्याण बोर्ड के प्रतनिधि को सदस्य नामांकति कयिा गया है।
- अशासकीय सदस्यों में कैलाश ललवानी गोपाल गोशाला नलखेड़ा ज़िला आगर-मालवा, वैदपाल झा केदारधाम गोशाला एवं जैव कृषि अनुसंधान केंद्र केदारपुर ज़िला ग्वालियर, प्रमोद नेमा भोपाल, जतिंदर नरोलया इंदौर और शंकर लाल पाटीदार कामधेनु सेवा संस्थान इमलया जिला रायसेन शामिल हैं।
- पशु कल्याण से जुडी संस्थाओं में गो सेवा आश्रम देवरी ज़िला मुरैना, एनमिल कयोर एंड केयर ग्वालियर, श्री गोस्वामी रामानंद गोशाला गुना, श्री कृष्ण गोशाला सेवा आश्रम कृसमानया ज़िला देवास, एनमिल एंड एनवायरनमेंट केयर ऑर्गनाइजेशन भोपाल, कामधेनु गोशाला भोपाल, श्री कृष्ण गोशाला एवं गो-संवर्धन समति सरिंज, त्रविणी गोशाला बैतूल, श्री दयोदय पशुधन संरक्षण समति हरदा और जन-जागरण एजूकेशनल एंड हेल्थ वेलफेयर सोसायटी मकरोनया ज़िला सागर भी बोर्ड के सदस्य होंगे।
- इस सलाहकार मंडल के प्रमुख कार्य हैं-
  - पशुओं के प्रतकिरूरता का नविरण अधनियम, 1960 के उपबंधों का पर्यवेक्षण एवं प्रशासन को सलाह देना।
  - पशुओं के प्रतकिरूरता या बरताव के संबंध में शासन को सलाह देना।
  - पशुओं के परविहन में उपयोग होने वाले यानों की संरचना में सुधार हेतु शासन, प्रशासन या यान स्वामी को सुझाव देना।
  - पशुओं के लयि शेड, पानी, चकितिसा सहायता हेतु नरिणय लेना।
  - पशुवध गृहों की संरचना, रख-रखाव के संबंध में शासन और स्थानीय प्राधकिरणों को आवश्यक सुझाव देना।
  - आवारा पशुओं को पकड़ते समय उन्हें यातना और दर्द से नजिात दलाने के लयि आवश्यक कदम उठाना।
  - असहाय, वृद्ध पशुओं और वन्य-प्राणियों की सुरक्षा करने वाली संस्थाओं को पजिरा, बल्लयिाँ, आश्रय स्थल के नरिमाण आदि के लयि आवश्यक अनुदान उपलब्ध कराना।
  - पशु कूरता नविरण के क्षेत्र में कार्यरत् संस्थाओं को आवश्यक सहयोग देना।
  - पशुओं को सामान्यतः दी जाने वाली अनावश्यक यातनाओं के वरिद्ध लोगों को जागरूक करना और पशुओं के स्वास्थ संरक्षण के संबंध में राज्य शासन को सुझाव देना शामिल हैं।